न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 46/2023

अनवान : –

1. सन्तोष पुत्री मुन्शीराम पत्नी ओम प्रकाश जाति भाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. विमला पुत्री मुन्शीराम जाति भाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. रामी पत्नी मुन्शीराम जाति भाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
4. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**
2. श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय

दिनांक: 06/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि सायला व गैरसायलान की दादालाई खातेदार भूमि रोही मौजा 24 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 77/62 की कुल 0.9100 हैक्ट भूमि एवं खाता संख्या 59/60 की कुल 2.7060 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 2 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 92/75 की कुल 6.9066 हैक्ट भूमि में से 1075/17457 हिस्सा भूमि सायल के मृतक पिता मुन्शीराम पुत्र अर्जनराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि दादालाई खातेदारी भूमि होने के कारण सायला का उक्त वाद भूमि में जन्मजात हक हिस्सा है। सायला के पिता का स्वर्गवास हो चुका है जिने जायज वारिसान प्रार्थीया व अप्रार्थीया स0 2 है। गैरसायल संख्या 2 ने सायला के पिता के देहान्त होने के बाद उपरोक्त तीनों खातो की भूमि मे अपना समस्त हक हिस्सा प्रार्थीया व अप्रार्थीया संख्या 1 के पक्ष में बहिब त्याग कर चुकी है।

गैरसायल संख्या 2 जो की वादीया की माता है वयोवृद्ध महिला है जिसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नही है जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए गैरसायल संख्या 1 कोई फर्जी दस्तावेज तस्दीक करवाकर समस्त वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवाने की फिराक में है तथा सायला को उसके हक हिस्सा से महरूम करना चाहती है। अगर गैरसायल संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाती है तो [illegible] होगी जिसकी भरपाई बाद में किसी भी प्रकार से सम्भव नही है। अतः गैरसायल [illegible] पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे एवं किसी प्रकार के दस्तावेज पंजीयन करवाने से निषिद्ध रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:14:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई कि रोही मौजा 24 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 77/62 की कुल 0.9100 हैक्ट भूमि एवं खाता संख्या 59/60 की कुल 2.7060 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 2 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 92/75 की कुल 6.9066 हैक्ट भूमि में से 1075/17457 हिस्सा भूमि सायल के मृतक पिता मुन्शीराम पुत्र अर्जनराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त वाद भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुन्शीराम के नाम दर्ज है मुन्शीराम का देहांत हो चुका है। वाद भूमि में सायला व गैरसायल संख्या 1 ता 2 का हक हिस्सा है लेकिन सायला का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना समस्त हक हिस्सा प्रार्थीया व अप्रार्थी स0 2 के के पक्ष में तर्क कर दिया है सायला का उक्त कथन अस्वीकार है क्योंकि गैरसायल संख्या 1 ने अपना हक हिस्सा कभी भी मौखिक रूप से तर्क नही किया है। वाद भूमि आज भी मृतक मुन्शीराम के नाम दर्ज है जिसको रहन, बैय करने का कोई अंदेशा नही है। विरास्तन नामान्तरण रूकवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, अप्रार्थीया का उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करने का कोई इरादा नही है अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पिता के नाम दर्ज है। गैरसायल संख्या गैरसायल संख्या 2 जो की वादीया की माता है ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा प्रार्थीया व अप्राथी स0 1 के पक्ष में तर्क कर दिया है। अप्रार्थी संख्या 1 जो की वादीया की माता है वयोवृद्ध महिला है जिसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नही है जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए गैरसायल संख्या 2 कोई फर्जी दस्तावेज तस्दीक करवाकर समस्त वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवाने की फिराक में है तथा सायला को उसके हक हिस्सा से महरूम करना चाहती है। अगर गैरसायल संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाती है तो सायला को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई बाद में किसी भी प्रकार से सम्भव नही है। अत गैरसायलान को पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे एवं किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन करवाने से निषिद्ध रहे। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुन्शीराम के नाम दर्ज है मुन्शीराम का देहांत हो चुका है। वाद भूमि में सायला व गैरसायल संख्या 1 ता 2 का हक हिस्सा है लेकिन सायला का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना समस्त हक हिस्सा प्रार्थीया व अप्रार्थी स0 2 के के पक्ष में तर्क कर दिया है सायला का उक्त कथन अस्वीकार है क्योंकि गैरसायल संख्या 1 ने अपना हक हिस्सा कभी भी मौखिक रूप से तर्क नही किया है। वाद भूमि आज भी मृतक मुन्शीराम के नाम दर्ज है जिसको रहन, बैय करने का कोई अंदेशा नही है। विरास्तन नामान्तरण रूकवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, अप्रार्थीया का उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करने का कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:14:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इरादा नही है अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थीया का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पिता मुन्शीराम के नाम दर्ज है तथा अप्रार्थी संख्या 2 ने अपना हक हिस्सा प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है जबकि अप्रार्थी संख्या 2 का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 2 ने अपना हक हिस्सा मौखिक तर्क नही किया है। उक्त वाद भूमि के विरासतन इंतकाल को रूकवाने बाबत यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

उक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है क्योंकि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुन्शीराम के नाम दर्ज है जिसका विरासतन इंतकाल दर्ज होना है तथा अप्रार्थीया संख्या 2 द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थीया संख्या 2 ने अपना हक हिस्सा तर्क नही किया है। अतः प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है तथा अप्रार्थीगण को अगर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थीया को। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है न की प्रार्थीया के पक्ष में। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने के कारण खारिज किया जाकर दिनांक 07.03.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 06/05/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:14:28 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर